संरक्षा विभाग

संगठनः

संरक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें पॉच संरक्षा सलाहकार यातायात, कैरिज एण्ड वैगन, सिगनल, इन्जीनियरिंग एवं लोको प्रत्येक विभाग से एक द्वारा सहायता दी जाती है ।

जयपुर मण्डल पर दुर्घटना मामलों की पुर्नसमीक्षा :

- **सारांश**

	2015-16			2016-17			2017-18 (फरवरी–18 तक)		
	यात्री	मालगाड़ी	योग	यात्री	मालगाड़ी	योग	यात्री	मालगाड़ी	योग
परिणामी	**2**	-	2	-	-	-	-	-	-
गैर परिणामी	2	-	2	1	2	3	-	2	2
योग	4	-	4	1	2	3	-	2	2

- **कोटिनुसार विश्लेषण**

क.सं	कोटि	2015-16			2016-17			2017-18 (फरवरी–18 तक)		
		परि.	गै.परि.	योग	परि.	गै.परि.	योग	परि.	गै.परि.	योग
1	टक्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सैक्शन की बीच अवपथन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	स्टेशन पर अवपथन	1	-	1	-	3	3	-	2	2
4	समपार (कर्मचारी सहित)	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	समपार मानव रहित	1	1	2	-			-	-	-
6	गाड़ी में आग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	रोकी गयी टक्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	गाड़ी द्वारा खतरे	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	का सिगनल पार करना									
9	ब्लाक नियमों को तोड़ना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	विविध(असामान्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	2	2	4	-	3	3	-	2	2

निरीक्षण:

संरक्षा निरीक्षण निर्धारित शैडयूलों के अनुसार अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं और शाखाअधिकारियों के स्तर पर इनकी मॉनीटरिंग की जा रही है । निरीक्षणों की समरी सभी अधिकारियों द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक को प्रस्तुत की जाती है । निरीक्षणों के दौरान पायी गयी कमियों पर मण्डल रेल प्रबन्धक के साथ शाखाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में विस्तृत रूप से चर्च की जाती है ।

संरक्षा अभियान:

वर्ष 2017–18 में 23 संरक्षा अभियान निम्नलिखित मुद्दों पर चलाए जा चुके है :

- लाको पायलेट–एसपीएडी पर सीटी बजाने की आदतें, शराब पीने पर एम्बुशचैक, अल्पमात्र (वी ऑवर) सतर्कता, अधिक गति, ब्रेक कन्टयूनिटी टैस्ट, गतिप्रतिबन्ध पालन इत्यादि ।
- गेटमेंन–समपार फाटकों पर असामान्य वर्किग के दौरान संरक्षा एतिहात, समपार फाटकों और गाड़ियों का बचाव, प्राइवेट नम्बरों का बदलना, गाड़ी गुजरते समय असमानताओं को देखना इत्यादि ।
- गैंग मेट, गैंगमेंन तथा रेल पथ निरीक्षक – जहां कार्य चल रहा है उस स्थान की सुरक्षा, रात्रि गश्त, रेल बैल्ड फ्रेक्चर, यूएसएफडी टैस्टिंग इत्यादि, गुजरती हुई गाड़ियों को देखना ।
- स्टेशन कर्मचारी– शंटिग संचालन में एतिहात, क्रेंड हैंडिल टैस्टिग, संक्षिप्त प्रकिया को टालना, डिसकनैक्शन मीमो जारी करना और रिले रूम तथा बेसमेंट के डबल लॉक को सुनिश्चित करना, संरक्षा उपसकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्टेबल्ड लोड को सुरक्षित करना । घिरी हुई लाइनों के कांटों को

बदलना । प्राइवेट लम्बर बदलने से पहले गैर अंर्तपाशित फाटकों की बंद स्थिति को सुनिश्चित करना ।

- सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी– अनुरक्षण के लिए सही रूप से डिसकनैक्शन/रीकनैक्शन मीमो, संक्षिप्त प्रक्रिया को टालाना ।
- सवारी एवं माल डिब्बा कर्मचारी– रोलिंगइन/रोलिंग आउट जांच, ब्रेक कन्टयूनिटी टैस्ट इत्यादि ।
- इन्जीनियरिंग कर्मचारी– मानव रहित फाटकों पर स्पीड ब्रेकरों की उपलब्धता, सीटी बोर्ड, सड़क चिन्ह बोर्ड तथा स्टॉप बोर्ड, पेड़ों की कटिंग/ड्रिमिंग, सही जगह पर जाम पट्टियों की उपलब्धता । कर्व/कटिंग/ब्रिजों का अनुरक्षण ।
- जन जागरूकता अभियान, संरक्षा सेमिनार, जनता तथा सड़क उपयोग कर्ताओं को परामर्श, सम्बन्ध शाखाओं द्वारा मोबाइल फोनों पर एसएमएस इत्यादि ।
- यांत्रिक, संरक्षा, बिजली, वाणिज्य, परिचालन, सुरक्षा विभागों द्वारा पैन्ट्रीकार में "क्या करें तथा नहीं करें" को चैक करना ।
- पैसिन्जर और एक्सप्रेस गाड़ियों में पीसीटी, ईटीएल, एफईएस, लकड़ी के खम्भे, स्ट्रेचर, फर्स्टएडबॉक्स, ब्रेकयान में पाल्मब कपलिंग ।
- अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा सुपरफास्ट तथा मेलएक्सप्रेस,पैसिंजर गाड़ियों की पिट लाइन की चैकिंग ।

एम्बुश चैकः

अमंरेप्र,वमंपरिप्र,वमयांइजी/पा,वमंसंधि तथा वमंसुआयुक्त स्तर पर एम्बुश चैक आयोजित किए जाते हैं तथा परिनिरी तथा लोको निरीक्षक स्तर पर माह में निम्न लिखित पहलुओं पर 10 से 12 एम्बुश चैक भी किए जाते हैं :

- समपार फाटकों पर फाटकवाले द्वारा उचित ढंग से प्राइवेट नम्बर बदलना ।
- लोको पायलटों द्वारा सहीढंग से सीटी बजाना ।
- क्रू, गाड तथा सस्टेमा के बीच आल राइट सिगनल मिलाना तथा आफ साइड गाड़ी देखना ।
- टीएक्सआर कर्मचारियों द्वारा रालिंग इन, रोलिंग आउट जांच (एक्सामिनेशन)
- कार्य स्थल की सुरक्षा ।

- नशे पर एम्बुश चैक ।
- अल्पकाल सतर्कता (वी आवर)
- अधिक गति ।
- स्टेशन कर्मचारियों की सतर्कता ।

सेफ्टी सेमीनार

प्रत्येक माह कम से कम 10 से 12 संरक्षा सेमीनार (2016–17 में कुल 91 तथा 2015–16 में 123 सेमीनार आयोजित की गयीं) की जा रही हैं। वर्ष 2017–18 फरवरी तक 76 संरक्षा सेमीनार आयोजित हो चुकी।

जन जागरूकता अभियान:

संरक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक माह 10 से **12 जन जागरूकता** अभियान आयोजित किए जा रहे हैं । विभिन्न स्थानों पर जैसे समपार फाटकों, स्टेशनों, स्थानीय बस एवं टैक्सी स्टेंडों,नगर पालिका इत्यादि पर समपार फाटाकों को पार करते समय वरती जाने वाली संरक्षा एतिहातों के लिए छत पर यात्रा को टालने, रेल लाइनों को क्रास करने, कोचों में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने के लिए जनता को शिक्षित करने हेतु इस वर्ष के दौरान 37 **जन जागरूकता** अभियान चलाए गए ।